

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित लेखाकर्मियों की उनके नाम के सामने अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक एफ-2(25)वित्त/राजस्व/2010 दिनांक 30.06.2014 द्वारा नियमित कर वेतन आहरण कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की है। अतः आदेशों की प्रतीक्षा अवधि का वेतन भुगतान कॉलम संख्या 4 में अंकित विभाग/कार्यालय से किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है:-

क्र.सं	नाम लेखाकर्मियों सर्वश्री	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि जो नियमित की गई	विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन का भुगतान किया जावेगा
		कब से कब तक	
1	2	3	4

सहायक लेखाधिकारी/Ac

1	लियाकत अली Ac	04.03.14 से 15.04.14	निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर
2	कृष्ण कुमार	04.03.14 से 28.05.14	निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

लेखाकार

3	सत्य नारायण अग्रवाल	04.03.14 से 23.05.14	निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर
---	---------------------	----------------------	-----------------------------------

क0लेखाकार

4	पूर्ण चन्द	23.01.14 से 03.03.14	तहसील, नवलगढ़ (झुन्झुनू)
5	हनुमान प्रसाद चतुर्वेदी	29.01.14 से 03.03.14	उपकोषालय, रावतभाटा (चित्तोडगढ़)
6	स्व0 श्री सोहन लाल कुमावत	11.3.14 से 24.05.14	कोषालय, पाली
7	भीखाराम मेघवाल,	19.03.14 से 28.05.14	कोषालय, धौलपुर

(वीरबाला जोशी)
निदेशक
दिनांक: 7-7-14

क्रमांक: एफ-4(ई)II / एपीओ/अलेसे-III / 42-56-74

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार ही आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें। (वेबसाइट से)
2. संयुक्त निदेशक(प्रशासन/लेखाशाखा) को भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार ही आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें
3. ए.सी.पी(उपनिदेशक(आईटी) वित्त भवन, कार्यालय हाजा जयपुर को आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
4. सहायक निदेशक, अलेसे-I / II / III मय अतिरिक्त प्रतियों निजी पत्रावली हेतु
5. श्री-लेखाकार कार्यालय-को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपना गत भुगतान प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग / कार्यालय को प्रस्तुत करें एवं प्राप्त भुगतान की सूचना भिजवावें। (वेबसाइट से)
6. निजी सहायक, निदेशक
7. निजी पत्रावली

(अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II))